दिनांक 20–09–2021

आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अन्य प्रशासनिक कार्यो में व्यस्त रहने के कारण पत्रावली का अवलोकन नहीं किया जा सका। अतः पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 21–09–2021 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

दिनांक 21–09–2021

आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम नौगांव तहसील महवा की आराजी 629/0.54, 630/0.04, 645/0.10, 663/0.56, कुल कितर 4 रकबा 1.24 हैक्टयर व खसरा नम्बर 633/0.52, 635/0.96 636/0.65 कुल किता 3 रकबा 2.13 हैक्टयर सायल व गैरसायलान की संयुक्त कब्जा काश्त व खातेदारी की आराजी है जिसका बाहमी तौर पर विभाजन कर काश्त करते चले आ रहे है। सायल के हिस्सा की आराजी से गैरसायलान का किसी प्रकार का कोई सबंध नहीं है किन्तु सायल के हिस्सा की आराजीयात की डोल मेढ को तोडते रहते है। सायल ने गैरसायलान से विभाजन करवाने को कहा तो इन्कार कर दिया इसलिये सायल को वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना जरूरी हुआ है। गैरसायलान ने दिनांक 22–06–2021 को सायल के हिस्सा की आराजी पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी। प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में है। अतः गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से [illegible]

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल संख्या 1 व 2 दि[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar Meena
Date: 2021.12.16 12:54:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

12—07—2021 को न्यायालय में उपस्थित आये इसके पश्चात दिनाक 02—08—21 को उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

सायल के वकील की एकपक्षीय बहस सुनी जिसका मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जमाबंदी के अनुसार ग्राम नौगांव तहसील महवा की आराजी 629/0.54, 630/0.04, 645/0.10, 663/0.56, कुल कितर 4 रकबा 1.24 हैक्टयर की खातेदारी की खातेदारी बाबूलाल पुत्र गंगाधर हि. 1/3 बिरमादेवी पत्नि रूगदास हि. 1/3 सुन्तीदेवी पत्नि हरीसिंह जाति जाटव निवासी नौगांव तहसील महवा की सहखातेदारी में दर्ज है। इसी प्रकसार ग्राम नौगांव तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 633/0.52, 635/0.96 636/0.65 कुल किता 3 रकबा 2.13 हैक्टयर की खातेदारी कैलाशचन्द पुत्र दौजीराम हि. 37/213 जाति कोली निवासी श्रीमहावीरजी, बाबूलाल पुत्र गंगाधर हि. 34/213, बिरमादेवी पत्नि रूगदास हि. 1/16, सुन्तीदेवी पत्नि हरीसिंह हि. 1/3 जाति जाटव निवासी नौगाव, सुबुद्धी पुत्र भंवर हि. 1/16 जाति जाटव निवासी आजनहेडा की सहखातेदारी में दर्ज है। इससे यह तथ्य प्रमाणित है कि सायल व गैरसायला संख्या 1 एवं 2 वादग्रस्त आराजीयात में सहखातेदार है। सायल/वादी का वाद विभाजन का है यदि किसी भी पक्षकार द्वारा अविभाजित वादग्रस्त आराजी में निर्मा[illegible] के वाद का महत्व ही समाप्त हो [illegible] दोनों ही पक्षों का निर्माण नहीं करने [illegible] समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar Meena
Date: 2021.12.16 12:54:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

आदेश

अतः वाद पत्र के निर्णय तक उभय पक्ष को पाबंद किया जाता है कि ग्राम नौगांव तहसील महवा की आराजी 629/0.54,630/0.04, 645/0.10, 663/0.56, कुल कितर 4 रकबा 1.24 हैक्टयर व खसरा नम्बर 633/0.52, 635/0.96 636/0.65 कुल किता 3 रकबा 2.13 हैक्टयर में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

निर्णय आज दिनांक 21–09–2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar Meena
Date: 2021.12.16 12:54:49 IST
Reason: SelfAttested